

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-06वीं अक्टूबर 2021

सेवा में,

**SHRIDHAR REAL ESTATES PRIVATE LIMITED,**  
Siddhartha Maison,  
Anand Gram, R K Apartment, Morabadi, Ranchi.

**विषय:- मौजा-पुन्दाग, प्लॉट नं0-593, 594, खाता नं0-247, वार्ड नं0-W36, थाना-Jagarnathpur-228, जिला-राँची में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची से कराई गई। उनके द्वारा अपने ज्ञापांक-412, दिनांक-05.10.2021 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित प्रत्येक भवनों के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 - 1,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित प्रत्येक भवनों में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. प्रत्येक भवनों के चारों तरफ रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. भवनों के ब्लॉक-A एवं ब्लॉक-B के मुख्य स्टेयरकेश लॉबियों तथा ब्लॉक-C के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में 150 MM डायामेटर वाला एक-एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. प्रत्येक भवनों के बेसमेन्ट तथा व्यावसायिक भवनों के सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु अलग से पाईप लाईन की व्यवस्था की जाय, जिसका संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
8. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक भवनों में एक-एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता का फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय। जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg /CM<sup>2</sup> दाब की क्षमता हो।

9. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
10. प्रत्येक भवनों में 450 Lpm क्षमता वाले एक-एक टैरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
11. प्रत्येक भवनों में 180 Lpm क्षमता वाले एक-एक जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय। जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg / CM<sup>2</sup> दाब की क्षमता हो।
12. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
13. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
14. उपर्युक्त प्रत्येक भवनों के सभी लिफ्टों को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
15. NBC के अनुसार अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु भवनों के सामने वाले भाग में 12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय।
16. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
17. भवनों के सभी ब्लॉकों में मानक के अनुरूप रिफ्युज एरिया का निर्माण कराया जाय।
18. भवनों के सभी ब्लॉकों में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
20. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
21. भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
22. भवनों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 04-04 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
23. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
24. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
25. भवनों में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
26. इस भवनों में सभी सिनेमा स्क्रीन संस्थापित कराये जाने का प्रस्ताव है। इन सभी स्क्रीनों में शो समाप्ति का समय इस प्रकार से रखा जायेगा कि एक स्क्रीन का शो समाप्त होने के कम से कम आधा घंटा पश्चात् हीं किसी दूसरे स्क्रीन का शो समाप्त हो। ताकि निकास के रास्तों में अनावश्यक ज्यादा भीड़-भाड़ न हो।
27. सभी सिनेमा भवन में यदि कोई Fabric अथवा दहनशील पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो उसे अग्नि रोधी रसायन में Treatment अवश्य कर लिया जाय।
28. प्रत्येक स्क्रीन के दोनों तरफ होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
29. प्रत्येक सिनेमा स्क्रीन के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार को कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर चेक डोर से सुरक्षित किया जाय।
30. प्रत्येक तलों के लिए अलग-अलग ए0सी0 डक्ट की व्यवस्था की जाय तथा डक्ट में मानक के अनुरूप स्वचालित फायर डैम्पर का संस्थापन कराया जाय।
31. Eccallators की अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था मानक के अनुरूप की जाय।

32. भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
33. भवनों को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
34. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
35. भवनों के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
36. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.6 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।